न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 39/2025 अपील (GCMS 2025/46)
पंजीयन दिनांक– 15/01/2025

1. देवीलाल पिता रतन मीणा,
2. धर्मेन्द्र पिता रतन मीणा,
3. धीरज पिता रतन मीणा,
4. श्रीमती बालीबाई पति रतन मीणा, निवासीयान बनेड़िया खुर्द तहसील व जिला प्रतापगढ़

– अपीलांट्स

बनाम

1. अजय पिता भेरूलाल मीणा,
2. विजय पिता भेरूलाल मीणा,
3. भेरूलाल पिता देवाजी मीणा,
4. गोरधन पिता देवाजी मीणा, निवासीयान बनेडियाखुर्द, तहसील व जिला प्रतापगढ़
5. तहसीलदार, प्रतापगढ़

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री करन सिंह जाट – वकील अपीलांटगण
2. श्री मोहित पाहुजा – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 09/2024
दिनांक 07.05.2024

निर्णय

दिनांकः 29/04/2026

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–75 के अन्तर्गत तहसीलदार, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 07.05.2024 के विरूद्ध पेश की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील प्रतापगढ़ में मृतक खातेदार बगदीराम पिता कालु मीणा के पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि की अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.03.2006 को रेस्पोडेंट संख्या 1 अजय व रेस्पोडेंट संख्या 2 विजय के पक्ष में निष्पादित की। बगदीराम की मृत्यु दिनांक 21.08.2022 को हो गई जिससे इसी वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिनांक 07.05.2024 को दिया। अपीलांट्स द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा में प्रस्तुत की। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 से बांसवाड़ा संभाग को विलोपित किया जाने से जिला प्रतापगढ़ क्षेत्र का हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि मृतक खातेदार अपीलांट्स के पिता सहित तीन भाई स्व. देवा पिता कालु, स्व. रतनलाल पिता कालु व स्व. बगदीराम पिता कालु तथा दो बहिने स्व. केसरी पिता कालु व श्रीमती धापुबाई पिता कालु थी, जिसमें से श्रीमती धापुबाई पिता कालु वर्तमान में जीवित होकर उक्त मृतक खातेदारों के कुछ वारिसानों द्वारा षडयंत्रपूर्वक नामान्तरकरण खुलवा दिया, जिसकी जानकारी नहीं होना बताते हुए अपील देरी को क्षमा कर अपील मयाद में शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा मेरिट पर अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मृतक बगदीराम लाऔलाद फौत हुए। वह अपने जीवनकाल में अपीलांट के पास ही रहते थे। उनकी भूमि पर अपीलांट ही काश्त करते आ रहे है। उनका दाह संस्कार सामाजिक रीति से उनके द्वारा ही किया गया। रेस्पोडेंट ने धोखे से खाली स्टाम्प पर अंगुठा लगवाकर वसीयत बनवाली। वसीयत के लिए जारी उजरदारी नोटिस का सार्वजनिक प्रकाशन नहीं करवाया। गवाहों के बयान भी एक समान लिखे गये। यह एक फर्जी वसीयत है जिसके आधार पर तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया वह अवैध है। अन्त में अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने बताया कि अपील मयाद बाहर है। देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। वसीयत नियमानुसार निष्पादित की गई। तहसीलदार ने वसीयत की जांच उपरान्त जो आदेश दिया है वह नियमानुसार है। अपीलांट्स का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट्स को वसीयत से आपत्ति है तो समक्ष न्यायालय में वसीयत को चुनौती देनी चाहिये। अन्त में अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए गुणावगुण पर अपील को निस्तारित किया जाना उचित समझा जाता है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम बनेडियाखुर्द, पटवार हल्का मनोहरगढ़, तहसील प्रतापगढ़ में खाता संख्या 123 में अवस्थित कुल खसरे 5 क्षेत्रफल 0.9200 है. भूमि में से संयुक्त खातेदार 1/5 बगदीराम पुत्र कालू मीणा के लाऔलाद मृत्यु उपरान्त श्री बगदीराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 20.03.2006 के आधार पर अन्य सहखातेदार मृतक के भतीजे भैरू पिता देवा मीणा के दो पुत्रों अजय व विजय के नाम तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 07.05.2024 को पारित नामान्तरकरण आदेश को मृतक

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

बगदीराम के भाई रतन के वारिसान, जो प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार है, ने आक्षेपित करते हुए वसीयत व सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाया।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रकरण में निम्न लिखित विचारणीय बिन्दू हैः

- **यह कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति पैतृक होना स्पष्ट है।**
- **यह कि पैतृक सम्पत्ति में किसी सहखातेदार के लाऔलाद फौत होने पर विरासतीय अधिकार क्या होंगे व नामान्तरकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी।**
- **यह कि पैतृक सम्पत्ति में वसीयत की क्या भूमिका होगी, विशेषकर जब सहखातेदारान द्वारा उसे आक्षेपित किया गया है।**

यद्यपि इस क्रम में अपीलार्थीगण का एडवर्स पजेशन का क्लेम अप्रासंगिक होकर निरस्तनीय है।

प्रकरण में तहसीलदार, प्रतापगढ़ के अपीलाधीन आदेश में उपरोक्त प्रेक्षण (Observation) की विवेचना का अभाव है। अतः अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, प्रतापगढ़ का दिनांक 07.05.2024 का नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, प्रतापगढ़ को उपरोक्तानुसार विवेचित बिन्दुओं का परीक्षण कर नए सिरे से विधिनुकूल निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर